

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1159] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2007/आश्विन 3, 1929  
No. 1159] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2007/ASVINA 3, 1929

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

का.आ. 1594(अ).—खादी और ग्रामोद्योग नियमावली, 2006 के नियम 15 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्ववर्ती कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1 मार्च, 2007 के का.आ. 306(अ) में संशोधन करती है, नामतः :-

सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 3 और 4 में उल्लिखित सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित सदस्य प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

3. श्री पादी युबे, आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 3 इला रोड, विले पार्ले (प.) मुम्बई।
4. डॉ. पी. एल. धर, विशेषज्ञ सदस्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 3 इला रोड, विले पार्ले (प.) मुम्बई।

[का. सं. 6(6)/2006-केवीआई-III]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 306(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

3978 GI/2007

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND  
MEDIUM ENTERPRISES  
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2007

S.O. 1594(E).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 15 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby amends the Notification number S.O. 306 (E), dated the 1st March, 2007, in the Gazette of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (the erstwhile Ministry of Agro and Rural Industries), namely:—

In the said notification, for the Members at serial numbers 3 and 4, the following shall be substituted, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

3. The Zonal Member (North-Eastern Zone), Shri Padi Yubbe, Khadi and Village Industries Commission, 3, Irla Road, Vile Parle (W), Mumbai.
4. The Expert Member (Science and Technology), Dr. P.L. Dhar, Khadi and Village Industries Commission, 3, Irla Road, Vile Parle (W), Mumbai.

[F.No.6(6)/2006-KVI-III]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary, vide number S.O. 306 (E) dated the 1st March, 2007.